## <u>न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म०प्र०)</u> {समक्ष :डी.एस.मण्डलोई}

<u>फौज.प्र.क. : 720 / 14</u> संस्थित दि: 08 / 08 / 14

..... आरोपी

मध्यप्रदेश शासन द्वारा आरक्षी कन्द्र रूपझर,	
अन्तर्गत चौकी बिठली, जिला बालाघाट (म०प्र०)	अभियोगी
~ ~ ~	
विरुद्ध ∧	
V V.	

कौशल्याबाई पति नैनसिंह आर्मों, उम्र 35 वर्ष, जाति गोंड, निवासी ग्राम लूद चौकी बिठली थाना रूपझर जिला बालाघाट (म0प्र0)

### –<u>:: निर्णय ::</u>–

# (आज दिनांक 08/08/2014 को घोषित किया गया)

- (01) आरोपी पर आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) का आरोप है कि वह दिनांक 20 / 07 / 14 को समय 14:10 बजे, स्थान ग्राम लूद चौकी बिठली थाना रूपझर अन्तर्गत अपने आधिपत्य में एक प्लास्टिक की जरीकेन में छः लीटर कच्ची महुआ शराब अवैध रूप से बिना अनुज्ञप्ति अथवा अनुज्ञा—पत्र के रखे हुए पाया गया।
- (02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि चौकी बिठली के सहायक उपनिरीक्षक कुवरसिंह उद्दे को दिनांक 20.07.2014 को ग्राम गस्त के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम लूद मौहल्ला बैगा में रहने कौशल्याबाई अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब लेकर जा रही है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर हमराह स्टाप एवं समक्ष गवाहों के घटनास्थल पर जाकर घेराबंदी कर आरोपी कौशल्याबाई को पकड़ कर तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से एक प्लास्टिक की जरीकेन में छः लीटर कच्ची महुआ शराब पाई गई। आरोपी से शराब रखने के लायसेंस के संबंध में पूछने पर आरोपी ने लायसेंस न होना व्यक्त किया। बिना लायसेंस के शराब पाया जाना मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के तहत दण्डनीय अपराध होने से आरोपी से उक्त शराब को समक्ष गवाहों के जप्त कर, आरोपी को गिरफ्तार कर, आरोपी के विरुद्ध अपराध क. 0/14 कायम कर असल नम्बरी हेतु थाना रूपझर भेजा था, जिस पर थाना रूपझर की पुलिस के द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध कमांक 86/14 अन्तर्गत धारा 34 (क) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- (03) आरोपी को मेरे द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध की मुख्य विशिष्टियां विरचित कर आरोपी को पढकर सुनाई व समझाई गई।

निरन्तर....02

- (04) आरोपी के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :--
  - (अ) क्या आरोपी दिनांक 20 / 07 / 14 को समय 14:10 बजे, स्थान ग्राम लूद चौकी बिठली थाना रूपझर अन्तर्गत अपने आधिपत्य में एक प्लास्टिक की जरीकेन में छः लीटर कच्ची महुआ शराब अवैध रूप से बिना अनुज्ञप्ति अथवा अनुज्ञा—पत्र के रखे हुए पाया गया ?

## <del>/: सकारण – निष्कर्ष</del> ::–

- (05) आरोपी को मेरे द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध की मुख्य विशिष्टियां विरचित कर आरोपी को पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया ।
- (06) आरोपी द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध की स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपी को आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है ।
- (07) अभियोजन द्वारा आरोपी के विरूद्ध पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः आरोपी का यह प्रथम अपराध होना प्रकट होता है। आरोपी के द्वारा अपराध की स्वेचछयापूर्वक स्वीकारोक्ति के फलस्वरूप आरोपी को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।
- (08) आरोपी **कौशल्याबाई** को आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए **800 / रु. अक्षरी रूपये आठ सौ** के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया जाता है।
- (09) अर्थदण्ड की राशि अदा न करने के व्यतिकर्म में आरोपी को एक माह के साधारण कारावास की सजा पृथक से भुगताई जावे ।
- (10) प्रकरण में जप्तशुदा मुद्देमाल छः लीटर कच्ची महुआ शराब मूल्यहीन होने से विधिवत् नष्ट की जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथमश्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट